[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना संख्या. 02/2021- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)**

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2021

सा. का. नि.......(अ)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv), (v) और खंड (xxvii) के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में , मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथा:-

"(iii) भू-स्वामी- प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट के निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा की जानी है।";

(ख) क्रम संख्या 25 में ,-

(i) कॉलम (3) में, मद (iक) के पश्चात और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- |
| “(iख) जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिग की सेवाएं | 2.5 | -” |

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, , शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “और (iक)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, “, (iक) और (iख)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/53/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 मार्च, 2020, जिसे सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 26 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।